न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 01/2022 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2022/1)

1. कुलदीप पुत्र ताराचन्द जाति जाट साकिन चक 11 एम.डब्ल्यू.एम. तहसील पीलीबंगा।
2. मनदीप पुत्र ताराचन्द जाति जाट साकिन चक 11 एम.डब्ल्यू.एम. तहसील पीलीबंगा।
3. ताराचन्द पुत्र लालचन्द जाति जाट साकिन चक 11 एम.डब्ल्यू.एम. तहसील पीलीबंगा।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. सुल्तान पुत्र मामराज जाति जाट साकिन चक 11 एम.डब्ल्यू.एम. तहसील पीलीबंगा।
2. भागीरथ पुत्र गोविन्दराम जाति जाट साकिन चक 11 एम.डब्ल्यू.एम. तहसील पीलीबंगा।
3. राजस्थान सरकार

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः
1. श्री विजय कुमार पारीक – अभिभाषक अपीलान्ट्स
2. श्री राकेश कुमार रंगा – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1
3. विजय कुमार भादाणी – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 2
3. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 03–03–2022**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के निर्णय दिनांक 31.12.2021 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 सुल्तान ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एल.आर.एक्ट बाबत राजस्व रिकॉर्ड में नक्शा की शुद्धि करने का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसील पीलीबंगा के चक 11 एम.डब्ल्यू.एम के प. नं. 117/367 किला नं. 14/1/.126, 17/.127, 24/3/.025 की तरमीम की नक्शा में पूर्व स्थिति बहाल करने के आदेश फरमाये जावे। जिस पर उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा ने राजस्व रिकार्ड में नक्शा की शुद्धि का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुवे बहस के दौरान कहा कि अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि चक 11 एम.डब्ल्यू.एम. के पत्थर नं. 117/367 के किला नं. 17, 24 व 14 में स्थित है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नक्शा शुद्धि बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया। अपीलान्ट को उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार व लोकशस्टेण्डाई नहीं थी क्योंकि रेस्पोडेन्ट ने जरिये रजिस्ट्री भूमि खरीद की थी, वह खरीददार है तथा रजिस्ट्री में आसा– पासा अंकित किया हुआ है, उक्त भूमि से वह पाबन्द है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में तथा कथित सैक्शन 131 अंकित कर प्रार्थना पत्र पेश किया, जो डिफेक्टिव था क्योंकि शपथ पत्र था ही नहीं क्योंकि वह तस्दीक शुद्वा नहीं है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 का प्रार्थना पत्र के हैडिंग में नक्शा शुद्धि का रिकॉर्ड में अंकन हेतु अंकित किया तथा प्रार्थना पत्र के पैरा 7 में रिकॉर्ड दुरूस्ती की मांग की है तथा पैरा संख्या 5 में सहमति हेतु अंकन किया है, स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र सैक्शन 136 के तहत था समस्त प्रक्रिया 136 की थी। प्रकरण में सहायक कलक्टर को सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नहीं था, सैक्शन 131 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में क्षेत्राधिकार जिला कलक्टर को है। अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार 2 ता 5 को बनाया गया मगर भागीरथ पर कोई तामिल नही करवाई गई, ना ही तामिल की प्रक्रिया अपनाई गई, एकतरफा कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया। अपीलान्ट्स की भूमि को गलत रूप से रेस्पोडेन्ट सं. 1 के द्वारा मांगे गये नक्शे मे संशोधित कर दिया जो अवैध है तथा अपीलाधीन आदेश मे रास्ते बाबत् भी आदेश पारित किया है जो सैक्शन 131 मे कंवर ही नही करता। वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सैक्शन 251 क (2) में आता है। अधीनस्थ न्यायालय में सिविल न्यायालय का स्टे ऑर्डर पेश कर दिया गया था जिसमे रिकॉर्ड व मौके की स्थिति यथावत रखने के आदेश दिये गये थे। सैक्शन 131 में सेटलमेंट क्लोज होने से पूर्व या दरमियान कोई आदेश हुआ हो या नक्शा में

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

संशोधन कर दिया गया हो वही सैक्शन 131 में सुनवाई योग्य होता है, जबकि रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि हल्का पटवारी ने भूमि का नक्शे में गलत अंकन कर दिया है। रेस्पोडेन्ट ने पूर्व की स्थिति क्या थी व बाद की स्थिति क्या है? किसी प्रकार का कोई राजस्व रिकॉर्ड या अन्य दस्तावेज पेश ही नही किये। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को देखने से व पढने से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गुस्से में आकर व नाराजगी से निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.12.2021 को निरस्त फरमाया जावें। अपीलान्ट के अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में RRD 1974 पृष्ठ 456, RRD 1984 पृष्ठ 286, RRD 1997 पृष्ठ 331, RRD 2007 पृष्ठ 463, RRD 1998 पृष्ठ 452, RRD 1995 पृष्ठ 287, RRD 1973 पृष्ठ 1 (डी.बी.), RRD 1993 पृष्ठ 120, RRD 1985 पृष्ठ 170, RRD 1973 पृष्ठ 13, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पुष्ठ 165, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. रेस्पोडेन्ट सं. 2 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जल्दबाजी में निर्णय पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 सुल्तान ने उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा के संमक्ष नक्शा दुरूस्ती करने का प्रार्थना पत्र पेश किया तथा शपथ पत्र पेश किया जो तस्दीक शुदा नही है। प्रार्थना पत्र मे यह स्पष्ट है कि किला नं. 14 जो भागीरथ की खातेदारी भूमि है तथा प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 4 मे यह लिखा कि अप्रार्थी सं 2 ता 5 के साथ मौके पर लड़ाई झगड़े होते रहते है व तनाजा बना रहता है। इससे जाहिर होता है कि भागीरथ आवश्यक एवं हितबद्व पक्षकार है, भागीरथ को बिना सुने एकतरफा तौर ना अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। भागीरथ को कोई नोटिस अदालत मातहत द्वारा नही दिया गया तथा ना ही सी.पी.सी. के प्रावधान की पूर्वरूप से पालाना की गई। महज सरसरी तौर पर उसके खिलाफ एक्स पार्टी करके अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने के एक माह पश्चात ही एक्स पार्टी कार्यवाही करनी चाहिए। पत्रावली में रजिस्टर्ड व प्राप्ति रसीद संदीप नाम के व्यक्ति को दी गई है

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

जबकि रजिस्ट्री भागीरथ के नाम से थी, अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर पर भागीरथ के खिलाफ एक्स पार्टी की गई जो गलत है। अतः अपीलान्ट की खारिज कर प्रकरण अदालत मातहत को रिमाण्ड करे कि भागीरथ को सबूत व सुनवाई का अवसर देकर फिर नये सिरे से आदेश पारित करे। रेस्पोडेन्ट सं. 1 के अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में RRD 1991 पृष्ठ 364, RRD 1991 पृष्ठ 68, RRD 1991 पृष्ठ 130, RRD 1991 पृष्ठ 155, RRD 1981 पृष्ठ 487, 489, RBJ 2005 पृष्ठ 657, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

6. रेस्पोडेन्ट सं 1 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण रूप से विधि अनुसार निर्णय पारित किया है जो सही है। अभिभाषक अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 के अभिभाषक ने बहस में यह ऐतराज उठाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 1 भागीरथ को सुना ही नही गया, जबकि रेस्पोडेन्ट सं. 1 भागीरथ के निमित दिनांक 08.11.2021 को रजिस्टर्ड एडी नोटिस जारी किया गया तथा भागीरथ द्वारा न्यायालय में उपस्थित नही होने पर दिनांक 08.12.2021 को बाद तामिल एडी प्राप्त होने पर उनके खिलाफ एक्स पार्टी के आदेश पारित किये गये है। तामिल की एडी पर संदीप जो भागीरथ का बालिग लड़का है उसके हस्ताक्षर है। इस प्रकार अभिभाषक अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अभिभाषक का यह कथन अस्वीकार है कि भागीरथ को सुना ही नही गया जबकि भागीरथ स्वय न्यायालय में उपस्थित नही हुआ। प्रकरण में मौका रिपोर्ट हुई है तथा मौका रिपोर्ट में यह आया था कि यहां रास्ता था, जो उन्होने बन्द कर दिया। इस बारे अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में कुछ नही कहा। मौका रिपोर्ट में अपीलान्ट ने ऐतराज नही किया। उक्त रास्ते से सभी काश्तकारो का आना जाना रहता है, केवल मुझे ही रोका जा रहा है। मेरी जमाबन्दी में गैर मुमकिन रास्ता था वो ही मैने प्रार्थना पत्र में रास्ते की मांग की थी। मेरे को ढाणी में जाने के लिए कोई तो रास्ता देंगे। अपीलान्ट सिविल न्यायालय का स्टे होना बताकर प्रकरण को लम्बा रखना चाहता है, परन्तु वहां पर उन्होने उपखण्ड अधिकारी एव तहसीलदार को पार्टी ही नही बनाया। अधीनस्थ न्यायालय में महेन्द्र पुत्र कृष्णलाल का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी.खारिज किया जा चुका है। अभिभाषक अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 के द्वारा बहस में बताये गये एक एक कथन धरातल पर नही होकर केवल हवा में है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि उक्त रकबा की तरमीम दुरूस्त करने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधिसम्मत और कानूनी सही है तथा यह न्यायालय के श्रवणाधिकार में है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय सही है। अतः अपीलान्ट की अपील इसी स्तर पर खारिज की जावे।

7. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के संमक्ष राजस्व रिकॉर्ड में नक्शा शुद्वि करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प. नं. 117/367 के किला नं. 14, 17 व 24 में पटवारी हल्का द्वारा तरमीम गलत अंकित की गई है जिसकी पूर्व स्थिति बहाल की जावे। प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी नकल दैनिक डायरी पटवार मण्डल 44 NDR प्रस्तुत की जिस पर प्रकरण दर्ज कर मौका कमिश्नर रिपोर्ट ली गई। मौका कमिश्नर की रिपोर्ट दिनांक 16.11.2021 के साथ 13 नकल दस्तावेज सलग्न किए गये। मौका कमिश्नर की नियुक्त व रिपोर्ट पर अप्रार्थी सं. 2 ता 4 द्वारा दिनांक 25.11.21 को आपत्ति पेश की गई जो दिनांक 25.11.21 को सुनवाई करते हुए खारिज की गई। दिनांक 30.11.2021 को महेन्द्र पुत्र कृष्णलाल द्वारा आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो कि दिनांक 30.11.2021 को खारिज की गई। दिनांक 30.11.21 को ही अप्रार्थी सं. 4 की ओर से आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 30.11.21 को खारिज किया गया। अप्रार्थी सं. 2 ता 4 की ओर से दिनांक 30.11.21 को जवाब प्रस्तुत किया गया। जिसके साथ नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, आंशिक नजरी नक्शा, प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार नक्शा दुरूस्ती के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते समय पत्रावली में पूर्व में तरमीम शुदा नक्शा उपलब्ध नहीं होते हुए भी तरमीम के आदेश पारित किये है जो कि कायम रखे जाने योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.12.2021 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि पटवारी हल्का द्वारा नजरी नक्शा किन नियमों के तहत जारी किया गया इसके लिए जांच करावें तथा (पूर्व) मूल तरमीम जिसके आधार पर संशोधन चाहा गया है को रिकॉर्ड पर लेकर पक्षकारों द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर समुचित आदेश पारित करे।

तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 03.03.2022 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर।